

कार्यालय आदेश

निदेशक, उद्योग उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या-2609/दिनांक 21.10.2020 द्वारा उद्योग विभाग द्वारा संचालित "Ease of doing" तथा "Single Window" के अन्तर्गत सहकारिता विभाग द्वारा उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 के अन्तर्गत सहकारी समितियों के निबन्धन की प्रक्रिया "Online" किये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं। शासन द्वारा अपेक्षा की गई है कि विभाग के अन्तर्गत जो उक्त सहकारी समितियों के निबन्धन कार्य मैनुअल रूप से किये जा रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित कर दिया जाये और केवल "Online" प्रक्रिया से निबन्धन हेतु अनुज्ञप्ति जारी कर दी जाय।

अतः उपरोक्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि सहकारिता विभाग में उपरोक्तानुसार निबन्धन से सम्बन्धित कार्य जिनको investuttarakhand.com में "Online" किये जाने की व्यवस्था है, को तत्काल प्रभाव से मैनुअल कार्य बन्द करते हुए "Online" किया जाना सुनिश्चित करें।



(बी०एम०मिश्र)

निबन्धक

सहकारी समितियां उत्तराखण्ड
देहरादून।

कार्यालय:- निबन्धक सहकारी समितियां

पत्रांक:- 6906-12/निबन्धन /2020-21/

उत्तराखण्ड देहरादून।

दिनांक: 21.10.2020 दिसम्बर 2020

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड।
2. उप निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, कुमाँऊ एवं गढ़वाल मण्डल।
3. समस्त उप निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, मुख्यालय देहरादून।
4. समस्त अपर निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
6. सचिव, उद्योग एवं एम०एस०एम०ई० उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
7. सचिव, सहकारिता, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।



निबन्धक

सहकारी समितियां उत्तराखण्ड
देहरादून।